संख्या–3688(5)/71–2–2016–81/2016

प्रेषक,

अरिन्दम् भटट्ाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ दिनॉकः 27 सितम्बर, 2016

विषयः– यू0पी0 नीट, 2016 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग एवं माप–अप–राउण्ड की काउंसिलिंग आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु दिनॉक–28, 29, 30 सितम्बर, 2016 के अन्तर्गत निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की जा रही हैः–

1. शासनादेश दिनॉक–18.9.2016 में प्राविधानित डी0–नोवो प्रथम चक्र की काउंसिलिंग दिनॉक–25.9.2016 को समाप्त करते हुए तथा दिनॉक–26 एवं 27 सितम्बर, 2016 को राजकीय क्षेत्र के द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग सम्पन्न कर लिये जाने के पश्चात् निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेश हेतु द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग एवं माप–अप–राउण्ड के सम्बन्ध में समय–सारणी निम्नानुसार हैः–

द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग हेतु समय–सारणी	
प्रत्यावेदन स्वीकृति पंजीकरण प्रारम्भ करना।	दिनॉक–28.9.2016 को प्रातः 09.00 बजे
पंजीकरण समाप्त करते हुए मेरिट सूची का प्रकाशन	दिनॉक–29.9.2016 को को अपरान्ह–12 बजे
काउंसिलिंग/प्रवेश प्रक्रिया हेतु समय	अपरान्ह–12.00 से सायं 06.00 बजे
द्वितीय चक्र के अन्तर्गत प्रवेश हेतु अन्तिम तिथि	दिनॉक–29.9.2016 को को सायं–06.00 ब
मॉप–अप–राउण्ड	
प्रत्यावेदन स्वीकृति पंजीकरण प्रारम्भ करना।	दिनॉक–30.9.2016 को प्रातः09.00 बजे
पंजीकरण समाप्त करते हुए	दिनॉक–30.9.2016 को को अपरान्ह–02

मेरिट सूची का प्रकाशन	बजे
काउंसिलिंग/प्रवेश प्रक्रिया हेतु समय	अपरान्ह–02.00 बजे से सायं 06.00 बजे
प्रवेश हेतु अन्तिम तिथि	दिनॉक–30.9.2016 को को सायं–06.00 ब

2. द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व समस्त कालेजों द्वारा अपने रिक्त/अप्रवेशित सीटों की सूचना काउंसिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व एकीकृत काउंसिलिंग बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके आधार पर बोर्ड द्वारा कालेजवार सीट–चार्ट का अनुमोदन किया जायेगा।
3. काउंसिलिंग की समस्त प्रक्रिया अधिसूचना दिनॉक–20/22 अगस्त, 2016 के अन्तर्गत गठित एकीकृत काउंसिलिंग बोर्ड के माध्यम से एस0जी0पी0जी0आई, लखनऊ के परिसर में ही करायी जायेगी। निजी क्षेत्र की काउंसिलिंग हेतु प्रत्येक निजी मेडिकल/डेण्टल कालेज द्वारा एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के परिसर में कैम्प ऑफिस स्थापित की जायेगी, जिसके प्रभारी सम्बन्धित कालेज के प्रधानाचार्य/डीन स्वयं होंगे। प्रत्येक कालेज के कैम्प ऑफिस में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नामित एक पर्यवेक्षक भी उपस्थित होगा। निजी कालेजों के काउंसिलिंग/आवंटन/प्रवेश की समस्त प्रक्रिया इन्हीं कैम्प ऑफिस के माध्यम से कराई जायेगी।
4. समस्त छात्रों/अभ्यर्थियों को अपनी स्वेच्छा से निजी क्षेत्र के कालेज/पाठ्यक्रम में आवेदन करने की सुविधा होगी। छात्रों द्वारा अपना आवेदन सम्बन्धित कैम्प ऑफिस में उपलब्ध पंजीकरण साफ्टवेयर के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा।
5. छात्रों द्वारा 01 से अधिक परन्तु 05 से कम कालेज/पाठ्यक्रम में आवेदन किया जा सकता है।
6. प्रत्यावेदन प्राप्त करने/पंजीकरण हेतु निर्धारित समय–सीमा समाप्त होने पर एकीकृत काउंसिलिंग बोर्ड के पंजीकरण साफ्टवेयर द्वारा कालेजवार नीट मेरिट क्रम के आधार पर मेरिट सूची घोषित की जायेगी।
7. प्रत्येक कालेज द्वारा निर्धारित समय पर एकीकृत काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीट–चार्ट एवं कालेजवार मेरिट सूची के आधार पर काउंसिलिंग/प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न कराई जायेगी।
8. उक्त मेरिट सूची के आधार पर प्रत्येक कालेज के प्रधानाचार्य/डीन द्वारा छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश के समय सम्बन्धित छात्र की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
9. प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् सम्बन्धित कैम्प कार्यालयों द्वारा रिक्त/अप्रवेशित सीटों की सूचना तत्काल एकीकृत काउंसिलिंग बोर्ड को उपलब्ध करा दी जायेगी।

10. प्रवेश के दौरान यह सुनिश्चित किया जायेगा कि एकीकृत काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा प्रत्येक कालेज हेतु आवंटित सीटों के नम्बरों के अवरोही कम में ही घोषित मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश दिया जाय।

11. सम्पूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता रखते हुए समस्त कालेजों में प्रत्यावेदन प्राप्त करने की व्यवस्था, आन–लाईन पंजीकरण, मेरिट सूची का प्रकाशन तथा प्रवेश एकीकृत काउंसिलिंग बोर्ड की देख–रेख में सम्पन्न कराया जायेगा।

12. राजकीय कालेजों की काउंसिलिंग की भॉति निजी क्षेत्र के काउंसिलिंग के समय भी समस्त छात्रों को तत्समय उपलब्ध सीटों की सीट–चार्ट तथा समस्त कालेजों की शुल्क विवरण भी प्रदर्शित किया जायेगा, जिससे कि छात्रों द्वारा विभिन्न विकल्पों का ऑकलन किया जा सके एवं समस्त तथ्यों के आधार पर स्व–विवेक से एवं बिना किसी प्रकार के दबाव से निर्णय लिया जा सके।

13. समस्त कालेजों में उपरोक्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु राजकीय मेडिकल कालेज के वरिष्ठ चिकित्सा शिक्षक शासकीय प्रतिनिधि के रूप में प्रत्येक कालेज के कैम्प कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

14. प्रस्तावित द्वितीय चक्र एवं माप–अप–राउण्ड हेतु काउंसिलिंग शुल्क पूर्व की भॉति यथावत् रहेंगे। निजी क्षेत्र के कालेजों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग में धरोहर धनराशि रू0–50000/– होगी, जो कि महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के नाम से (लखनऊ में देय) डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना होगा। निजी कालेजों में उपरोक्त व्यवस्थानुसार प्रवेश प्रक्रिया सुगमतापूर्वक सम्पन्न कराने हेतु छात्रों को यह भी सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी कि शासनादेश के माध्यम से निर्धारित अन्तरिम शैक्षणिक शुल्क का भुगतान महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के नाम से (लखनऊ में देय) डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से कर सकतें है। उक्त धनराशि प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न कर लिये जाने पर सम्बन्धित कालेज के खाते में सम्बन्धित छात्र के सापेक्ष अग्रसारित कर दी जायेगी।

भवदीय,

(अरिन्दम् भटट्‌ाचार्य)
विशेष सचिव।

संख्याः– 3688(5)/71–2–2016 तददिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः
1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।

2. कुलसचिव, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
3. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
4. काउंसिलिंग बोर्ड में शासन द्वारा नामित सदस्यगण, द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ
5. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज/निजी मेडिकल/डेण्टल कालेज, उत्तर प्रदेश (द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ)।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(अरिन्दम् भटट्राचार्य)
विशेष सचिव।